<u>राज्य सभा</u>

अतारांकित प्रश्न संख्या 432

06 फरवरी, 2019 को उत्तर के लिए

सेलम इस्पात संयंत्र की स्थापना के कारण
व्यक्तियों का विस्थापन

432. डा॰ आर॰ लक्ष्मणनः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल) द्वारा सेलम इस्पात संयंत्र की स्थापना के कारण विस्थापित 3002 व्यक्तियों में से केवल 214 व्यक्तियों को संयंत्र में रोजगार उपलब्ध कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा शेष व्यक्तियों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने की कोई समय-सीमा तय की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

<u>उत्तर</u>

इस्पात राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय)

(क) और (ख): सेलम स्टील प्लांट ने वर्ष 1970 से 1983 के बीच चरणबद्ध तरीके से भूमि अधिग्रहण के कारण विस्थापित 3002 परिवारों में से विस्थापित परिवारों के 214 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया।

(ग) से (ङ): मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय के 1994 के डब्ल्यूपी सं. 15959 तथा 15960 के आदेश और 1995 के रिट याचिका सं. 821 और 822 तथा 1995 के सी.एम.पी. सं. 10515 और 10516 में मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच के आदेश के तहत दिनांक 3 फरवरी 1986 के बीपीई सर्कुलर सं. 15/13/84-बीपीई (सी) के अनुसार व्यक्ति को स्थानीय रोजगार कार्यालय में स्वयं पंजीकृत/प्रायोजित करना चाहिए तथा समय-समय पर सेलम स्टील प्लांट की अधिसूचना की प्रतिक्रिया में विस्थापित परिवारों के व्यक्ति यदि अपेक्षित योग्यता के अनुसार तथा अन्य आवश्यकताओं के समतुल्य पाए जाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को वरीयता प्रदान की जा सकती है।

*****